राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला– भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व थाणा भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तहसीलदार - करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोमाकाबाड़िया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 8 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:–

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	गोमाका बाड़िया गोमा का बाड़िया	8	ललित कुमार पिता मोहन व संजू पुत्री मोहन	ललित कुमार पिता मोहन व संजू पुत्री मोहन को बाकि के बजाय खाता सं. 08 में ललित कुमार पिता मोहन व संजू पुत्री मोहन को नाबालिक संयुक्त खाता खातेदार मोहन इंज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांकः– 13/6/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/90

प्रतिलिपिः–

1– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि [illegible] अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2– प्रार्थी श्रीमति चन्द्रदेवी w/o मोहन [illegible] निवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/449